[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 36/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2017

सा.का.नि.   (अ) केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 24 में, उपनियम (4) में, "30 सितंबर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 अक्तूबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 118 में, "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 119 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) नियम 120 में, "नियत दिन के नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) नियम 120क में, “**प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा का पुनरीक्षण**” पार्श्व शीर्ष अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(vi) **प्ररूप जीएसटी आरईजी-29** में,--

(क) **“अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन”** शीर्ष के स्थान पर **“प्रवासी करदाताओं के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन”** शीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष भाग-क के अधीन मद (i) के सामने “अनंतिम आई डी” शब्द और अक्षर के स्थान पर, “जीएसटीआईएन” अक्षर रखे जाएंगे ।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 34/2017-केंद्रीय कर तारीख 15 सितंबर, 2017, जो सा.का.नि. सं. 1165(अ) तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।